

1 : विविध प्रकरण संख्या 118/2023 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम किवाराम

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 118/2023

GCMS No. : 2023/258

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
आन्नद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		श्री किवाराम पुत्र धनाराम मैसर्स हरीओम स्वीट्स मैन बाजार खिवाडा तहसील रानी जिला पाली
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51		

उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित

—: निर्णय :-

दिनांक : 20.3.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में नियत तारीख पेशी पर अप्रार्थी उपस्थित। वक्त बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 06.07.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की दुकान मैसर्स हरीओम स्वीट्स मैन बाजार खिवाडा तहसील रानी जिला पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। दुकान का निरीक्षण करने पर 8-10 किलो रिफायंड सोयाबीन तेल रखा पाया गया जिससे अप्रार्थी मिठाई बनाकर आमजन को बेच रहा था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया की रिफायंड सोयाबीन तेल का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हूं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 02 किलोग्राम रिफायंड सोयाबीन तेल वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 120/- रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। अप्रार्थी से खरीदशुदा रिफायंड सोयाबीन तेल को चार बराबर भागों में बांटकर साफ सुखी सुटेबल बोतल में नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर-1921 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमूनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाबते में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। वहां पर उपस्थित 4-5 व्यक्तियों को सरकारी गवाह बनने को कहा लेकिन कोई गवाह बनने को तैयार नहीं होने कि स्थिति में सरकारी गवाह श्री भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा को बनया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म-6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई। नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमुना संख्या आर-1921 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1889/एक्ट/2023/1933 दिनांक 19.07.2023 के अनुसार Sub-Standards पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-Standards रिफायंड सोयाबीन तेल का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

पूर्व में नियत तारीख पेशी पर अप्रार्थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा भविष्य में पुरी तरह से सावधानी बरती जायेगी। अप्रार्थी के यहां रिफायंड सोयाबीन तेल का उत्पादन नहीं किया जाकर थोक विक्रेता से खरीद कर मिठाई बनाकर आमजन को विक्रय की जाती है। अप्रार्थी द्वारा रिफायंड सोयाबीन तेल में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है एवं गुणवत्ता एवं शुद्धता का पुर्ण ध्यान रखा जाता है। अतः अप्रार्थी पर कम से कम शास्ति आरोपित कर प्रकरण निस्तारित करावें।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.07.2023 को अप्रार्थी की दुकान से रिफायंड सोयाबीन तेल को वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-1921 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंगन प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमूने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर नमूने का विवरण, अप्रार्थी का नाम प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की दुकान से वास्ते जांच लिये गये रिफायंड सोयाबीन तेल का नमूना कोड संख्या आर-1921 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिया गया रिफायंड सोयाबीन तेल का नमूना अवमानक (Sub-standards) पाया गया जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-standards) रिफायंड सोयाबीन तेल का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 25000/- अक्षरे पच्चीस हजार रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



Leads
(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Leads
(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली